

गांव की स्वास्थ्य सुरक्षा की प्रहरी

ग्रामीण स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति



ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति हेतु कार्य मार्गदर्शिका



राज्य स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ छत्तीसगढ़ शासन

राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र छत्तीसगढ़

★ ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति हेतु कार्य मार्गदर्शिका

★ निर्माण

राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र
प्रथम तल, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र भवन
कालीबाड़ी, रायपुर (छ.ग.)

★ संदर्भ

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत
भारत शासन के ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता
समिति संबंधी निर्देश

★ चित्रांकन

लतिका वैष्णव
मो. : 94242-76385

★ डिजाइन एवं लेआउट

अश्वनी विशाल

★ मुद्रण

संवाद, छत्तीसगढ़

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क्या है?



केंद्र शासन द्वारा अप्रैल 2005 में आने वाले सात वर्षों (2005-2012) में सभी ग्रामीण लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य है कि हमारे राज्य में शिशुओं की मौत, माताओं की मौत में कमी हो सके और स्वास्थ्य सुविधाओं व सेवा तक पहुँच हो सके।

मिशन के अंतर्गत राज्य में कई कार्य किए जा रहे हैं, जैसे –

जिला, ग्राम पंचायत व
ग्राम स्तर पर
स्वास्थ्य योजनाओं
का निर्माण करना।



राज्य में उपस्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य
केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पताल
भवनों का निर्माण और सेवा मानकों
का निर्धारण।


लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ व सेवा पहुंचाने हेतु विभागों के मध्य समन्वय



पंचायत
विभाग




महिला बाल विकास
विभाग



लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
विभाग

सभी स्तरों पर विभिन्न समितियों का गठन



- राज्य में एलोपैथी के साथ-साथ आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति, सिद्धा और यूनानी चिकित्सा पद्धति के उपयोग को बढ़ावा देना।

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का ग्राम पंचायत से क्या संबंध है ?

हमारे ग्राम पंचायत
5 स्थायी समितियां होती हैं

1. सामान्य प्रशासन समिति
2. राजस्व एवं वन समिति
3. कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन समिति
4. निर्माण एवं विकास समिति
5. शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत की शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण स्थायी समिति

हमारी ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति पंचायत की शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण स्थायी समिति की ग्राम स्तरीय इकाई।

प्रत्येक ग्राम में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति क्यों बनाया जा रहा है?

समुदाय की भागीदारी से एक ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाने के लिए।

ग्राम स्वास्थ्य योजना पर मिलकर काम कर के हर पारों की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाने।

स्थायी समिति "शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति" को सक्रिय एवं मजबूत करने के लिए।

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी विषयों पर पंचायतों की भागीदारी बढ़ाने के लिए।

हमें ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन किस स्तर पर करना है ?

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति को ग्राम स्तर पर बनाया जाना है।

पंचायत में जितने राजस्व/वन ग्राम हैं उतने ही ग्राम स्वास्थ्य समितियाँ बनेंगी।




समिति का गठन सभी राजस्व व वन ग्रामों में करना है। वन ग्राम की समितियों को राष्ट्रीय स्तर से राशि प्राप्त होने पर अनटाइड फण्ड प्रदान किया जा सकेगा।

अभ्यास के प्रश्न

प्रश्न— क्या आपकी पंचायत में "शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण" समिति संबंधी स्थायी समिति है ? इसके सदस्य कौन-कौन से पंच हैं ? यह समिति आपके पंचायत में क्या-क्या कार्य करती है ?

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति हैं



समिति का सचिव कौन होगा ?

ग्राम पंचायत का पंचायत कर्मी या पंचायत सचिव ही इस समिति का भी सचिव होगा।

समिति की संयोजक मितानिन कौन होंगी?

प्रत्येक ग्राम में सभी मितानिनों में से कोई एक चयनित मितानिन संयोजक होंगी।

समिति का अध्यक्ष किसे बनाया जाना चाहिए?

- समिति के अध्यक्ष गांव के पंचों में से होंगे जो ग्राम पंचायत की "शिक्षा, स्वास्थ्य समाज कल्याण समिति" के सदस्य हों।
- यदि उस ग्राम का कोई भी पंच "शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण समिति" का सदस्य नहीं है, तो उस ग्राम के अन्य पंच को ग्राम पंचायत द्वारा अध्यक्ष, चयनित किया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि ऐसे पंच को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग से हों। महिला पंच को प्राथमिकता दिया जाना अच्छा है।

क्या हमारी समिति में निम्न सभी सदस्य सम्मिलित हैं ?

गांव की सभी
मितानिने

दाई

सभी पंच

गांव की
मितानिन
प्रशिक्षिका

अन्य सक्रिय
संगठन / समिति
स्वयं सेवी संस्था
के अध्यक्ष



अध्यक्ष
सक्रिय महतारी
समिति

अध्यक्ष, सक्रिय वन
अधिकार समिति



अध्यक्ष, सक्रिय
युवामंडल

अध्यक्ष, सक्रिय
नवाअंजोर समूह



अध्यक्ष
सक्रिय महिला
मंडल

अध्यक्ष, सक्रिय जल
स्वच्छता समिति
व निर्मल ग्राम



अध्यक्ष, सक्रिय स्व
सहायता समूह

गाँव में कार्यरत
अन्य स्वयंसेवी
कार्यकर्ता

पारे की महिला
स्वास्थ्य समिति
का एक प्रतिनिधि

क्या समिति में निम्न सभी अनिवार्य आमंत्रित सदस्य हैं
जिनके बिना समिति का कार्य पूरा नहीं होगा ?



ए.एन.एम.,



ग्राम की पाठशाला का
प्रधानाध्यापक (या अन्य शिक्षक)



आंगनवाड़ी कार्यकर्ता



लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
का हेल्डपंप मैकेनिक

क्या समिति
में 50 प्रतिशत
सदस्य महिलाएं
हैं अथवा नहीं?



कुछ व्यावहारिक प्रश्न और उनके उत्तर

प्रश्न 1. यदि ग्राम में स्थायी समिति का कोई भी पंच न हो, तो क्या सरपंच को ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति का अध्यक्ष चुना जा सकता है ?

उत्तर— सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया है, इसलिए किसी पंच को ही समिति का अध्यक्ष चुनना चाहिए। स्थायी समिति का पंच उपलब्ध नहीं होने पर किसी अन्य महिला पंच को चुना जाना चाहिए। अनुसूचित जाति या जनजाति के पंच को प्राथमिकता हो जानी चाहिए।

प्रश्न 2. ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?

उत्तर— समिति में सदस्यों की संख्या कितनी भी हो सकती है। यह उस ग्राम पर निर्भर करता है कि निर्धारित सूची के अनुसार कितने लोग समिति के सदस्य बनते हैं। इस संख्या को सीमित नहीं किया गया है।

प्रश्न 3 यदि समिति का गठन मार्गदर्शिका अनुसार नहीं हुआ है तथा कोई मितानिन, प्रशिक्षिका, पंच, स्वयं सहायता समूह आदि छूट गए हो तो क्या करना चाहिए ?

उत्तर : ग्राम स्वास्थ्य समिति की आगामी बैठक में छूटे हुए व्यक्तियों को निश्चित रूप से जोड़े गए सदस्यों की सूची ग्राम पंचायत को अनुमोदन हेतु भेजें।

अब तक जानी गई बातों के आधार पर ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
समिति का गठन निम्न चरणों में करना चाहिए।

आपकी समिति ने जो चरण पूर्ण कर लिए हैं, उसमें "✓" का निशान लगाएँ।



पहला चरण – मितानिन प्रशिक्षिका, सचिव व ग्राम की मितानिनों की बैठक में सभी मितानिन की सहमति से ग्राम में संयोजक मितानिन को चुनना।



द्वितीय चरण— संयोजक मितानिन, मितानिन प्रशिक्षिका एवं सचिव द्वारा समिति के सदस्यों की सूची तैयार करने हेतु सभी सक्रिय स्व सहायता समूहों, पारे की महिला स्वास्थ्य समिति, आंगनबाड़ी की महतारी समिति, युवा समिति, जल स्वच्छता समिति, नवाअंजोर समूह, निर्मलग्राम समिति, वन अधिकार समिति, महिला मंडल आदि के अध्यक्षों की सूची तैयार करना।



तीसरा चरण— समिति का अध्यक्ष चुनना।



चौथा चरण—अध्यक्ष सचिव, संयोजक मितानिन व सदस्यों की एक सूची ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराना।



पाँचवाँ चरण—ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के गठन का प्रस्ताव पारित करना।



छठवाँ चरण— ग्राम पंचायत द्वारा बैंक में सचिव और संयोजक के संयुक्त नाम से खाता खोलना।



सातवाँ चरण— 1. समिति की मासिक बैठक नियमित करना, 2. अनटाईड फंड का मार्गदर्शिका अनुसार उपयोग करना, 3. ग्राम स्वास्थ्य योजना बनना 4. ग्राम स्वास्थ्य योजना का कियान्वयन करना।



आठवाँ चरण – आपके ग्राम की ग्राम स्वास्थ्य योजना को मितानिन या ए.एन.एम. की मदद से विकासखण्ड की स्वास्थ्य योजना में जोड़ना।

ग्राम स्वास्थ्य
स्वच्छता समिति
के लिए संयोजक
मितानिन का चयन
कैसे किया जाएगा ?



ग्राम की सभी
मितानिनों की
बैठक करना।

उनकी सहमति से
प्राथमिकता सूची
तैयार करना।

हर साल प्राथमिकता
सूची अनुसार
अन्य मितानिनों
को भी इस समिति में
काम करने का मौका
बारी-बारी से मिल
सकेगा।

प्राथमिकता अनुसार
संयोजक मितानिन
तय करना।

हर साल प्राथमिकता
सूची अनुसार मितानिन को
संयोजक बनाना।



राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हे ए देस ल स्वस्थ बनायें बर
हमला का का करना हे अब गांव ल स्वस्थ बनावे बर



पंच सरपंच सचिव सुनव जी
सुनव सबो जी मुखिया सियान
आंगनबाड़ी मितानिन नर्स दीदी जी
सुनव गांव के नवजवान
बोरिंग बनइया सुसाइटी खोलइया
स्वसहाईता के दीदी जान
कोतवाल कका सब सुनव गुरुजी
सबके सब अब देवव ध्यान
गांव स्वास्थ्य स्वच्छता समिति
के होंगे निरमान
अपन स्वास्थ्य योजना खातिर
सब मिलके बनावव ठान
मिलही सबला सुख के छांव
जब जुरमिल बनाबो स्वस्थ गांव

ग्राम स्वास्थ्य-स्वच्छता समिति के कार्य

ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाना

ग्राम
स्वास्थ्य
योजना
के प्रमुख
चरण

चरण-1

आपके द्वारा अपने पारे/ग्रामों की प्रमुख समस्याओं/स्थिति तथा 32 बिन्दुओं संबंधी समस्याओं पर चर्चा करना।

चरण-2

पारावार कमजोर बिन्दुओं की पहचान करना।

चरण-3

कमजोर एवं सफल बिन्दुओं के कारणों की पहचान करना।



चरण-5

मासिक बैठकों में ग्राम स्वास्थ्य योजना के सभी बिन्दुओं का क्रियान्वयन करना।

चरण-4

सफल बिन्दुओं को बनाए रखने के उपाय करना। कमजारे बिन्दुओं को बेहतर बनाने के उपाय करना, जिम्मेदारी तय करना तथा समय सीमा तय करना।

ग्राम स्वास्थ्य योजना के प्रमुख अंग


1. कमजोर वर्गों की मदद।



2. पलायन करने वाले परिवारों की मदद।



4. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की बेहतर योजना।



3. गांव में विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलवाना।



ग्राम में अत्यंत गरीब बेसहारा, वंचित वर्ग के परिवार/व्यक्ति की पहचान कर उनकी सहायता हेतु कार्य योजना बनाना।

ग्राम स्वास्थ्य योजना के प्रमुख अंग

1. कमजोर वर्गों की मदद।



ग्राम स्वास्थ्य योजना के प्रमुख अंग

पलायन करने वाले परिवारों को स्वास्थ्य सेवा कैसे उपलब्ध हो इसकी योजना बनाना।

2. पलायन करने वाले परिवारों की मदद।



ग्राम में पलायन करने वाले परिवारों की पहचान कर उनकी सहायता के लिए योजना बनाना।

ग्राम स्वास्थ्य योजना के प्रमुख अंग

3. गांव में विभिन्न
योजनाओं के पात्र
हितग्राहियों को योजना
का लाभ दिलवाना।



सामाजिक व
खाद्य सुरक्षा
संबंधी योजनाओं का
लाभ दिलाना।



जननी सुरक्षा
योजना

राशन दुकान



ग्राम स्वास्थ्य योजना के
प्रमुख अंग

3. गांव में विभिन्न
योजनाओं के पात्र
हितग्राहियों को योजना
का लाभ दिलवाना।



आंगनवाड़ी केन्द्र
की सेवाएँ

मध्याह्न भोजन




संस्थागत प्रसव व गर्भवती
महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएँ



रोजगार गारंटी योजना



लोक स्वास्थ्य
यांत्रिकी द्वारा प्राप्त
टेस्ट किट से जल
स्रोतों की
गुणवत्ता नापने
का काम।



हैंडपंप की स्वच्छता


ग्राम में
साफ पीने के
पानी की व्यवस्था
हेतू कदम।

ग्राम स्वास्थ्य योजना के
प्रमुख अंग

कुओं में
क्लोरीन टेबलेट
डालने का कार्य।

4. सम्पूर्ण स्वच्छता
अभियान की बेहतर
योजना बनाना।

अधिक से अधिक
परिवारों द्वारा पक्के
शौचालय का
उपयोग।



ग्राम में जल प्रदाय योजना लागू करना।

हमारी ग्राम
स्वास्थ्य स्वच्छता समिति
के योजना बनाने
के अलावा
अन्य कार्य होंगे।

सभी प्रकार के
स्वास्थ्य कार्यक्रमों
व उपलब्ध सेवाओं
के बारे में लोगों
को जानकारी देना।

गांव में होने
वाले समस्त जन्म एवं
मृत्यु का पंजीयन।

स्वास्थ्य
कार्यकर्ता गांव में किस
दिन पहुँचते हैं
इसकी जानकारी
"स्वास्थ्य सेवा कैलेंडर"
द्वारा लोगों को
देना।

उपस्वास्थ्य केन्द्र में ए.एन.एम. एवं एम.पी.डब्लू.द्वारा
दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी देना। उन सेवाओं को
बेहतर बनाने के लिए योजना।



हर माह आंगनबाड़ी
केन्द्र में ग्राम
स्वास्थ्य पोषण दिवस आयोजित
होना है । ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता
समिति इसके नियमित आयोजन
व गुणवत्ता बढ़ाने में
सहयोग देना ।



हमारी ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति के योजना बनाने के अलावा अन्य कार्य होंगे ।

समिति द्वारा
तैयार ग्राम स्वास्थ्य
योजना का प्रदर्शन
दिवारों पर करना



ग्राम में मृत जन्म व शिशु
मृत्यु की सूचना तत्काल
चिकित्सा अधिकारी
को देना ।

महामारी
की सूचना
तत्काल
चिकित्सा
अधिकारी
को देना ।



समिति द्वारा
किए जाने वाले कार्यों
की वार्षिक गतिविधि
कैलेण्डर बनाना ।

यदि ग्राम में अनाज बैंक
नहीं है, तो उसकी
स्थापना करना ।

ग्राम में
संचालित, अनाज
बैंक को मजबूत
करना



बच्चों के कुपोषण
की निगरानी ।

शासन से समिति को प्राप्त वार्षिक अनटाईड राशि का उपयोग

हर साल समिति को शासन से 10,000/- की अनटाईड राशि प्राप्त होगी, जो कि केन्द्र से स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचायतों के माध्यम से समिति को प्राप्त होगी।


गाँव में स्वच्छता और पोषण संबंधी जानकारी के दीवार लेखन में।



गाँव स्वास्थ्य योजना को दीवार पर लिखना।



गाँव में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित कोई ऐसी समस्या हो, जिस हेतु उस राशि का प्रवधान नहीं हो पा रहा हो।



गाँव में हैंडपंप के लिए सोखता गड्ढा एवं जल निकासी के लिए नाली निर्माण।



गाँव में वंचित, बेसहारा, छूटेहुए गरीब परिवारों / व्यक्तियों को बीमारी / कुपोषण से जुड़ी जरूरत के लिए आर्थिक मदद में।



शासन से समिति को प्राप्त वार्षिक अनटाईड राशि का उपयोग

ग्राम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जिन कार्यों के लिए विभिन्न स्रोतों से राशि की उपलब्धता नहीं है।



समिति द्वारा किए जा सकने वाले सभी कार्यों में से यदि किसी कार्य में राशि की अत्यंत आवश्यकता हो तो उसमें कर सकती है।

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने हेतु गांव में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन में, जैसे

शिविर के आयोजन में

प्रतियोगिता के आयोजन में

प्रेरणा दल गतिविधि में



स्वास्थ्य संबंधी फिल्म प्रदर्शन के आयोजन में



किशोर/किशोरी परिचर्चा

सिकिल सेल जांच शिविर में

शासन से समिति को प्राप्त वार्षिक अनटाईड राशि का उपयोग

हमारी समिति द्वारा शासन से प्राप्त वार्षिक अनटाईड राशि का उपयोग

बिगड़े हैण्डपम्प/नल जल योजना के अंतर्गत छोटे मरम्मत के कार्य में



गाँव में महामारी (उल्टी-दस्त, पीलिया आदि) या आपात स्थिति का सामना करने हेतु

रिकॉर्ड संधारण संबंधी स्टेशनरी/पत्राचार/सूचना भेजने संबंधी आवश्यकताओं के पूर्ति हेतु

गाँव के पारों में मितानिनों/प्रशिक्षित दाई के द्वारा किए कार्यों के लिए प्रोत्साहन राशि पर



ग्राम स्वास्थ्य योजना का विवरण प्रदर्शित करने में



कुछ व्यावहारिक प्रश्न और उनके उत्तर

प्रश्न 1 ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को अनटाईड फंड किसके माध्यम से मिलना चाहिए ?

उत्तर – ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को अनटाईड फंड निम्नानुसार मिल सकता है—

1. सीएमओ द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से।
2. सीएमओ द्वारा बीएमओ/सीईओ के द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से।

प्रश्न 2 यह अनटाईड फंड समिति कहां रखेगी?

उत्तर – यह अनटाईड फंड समिति नजदीक के बैंक में खाता खोलकर बचत खाते में रखेगी।



प्रश्न 3 समिति का खाता कहां-कहां खोला जा सकता है? यह बचत खाता होगा या चालू खाता?

उत्तर – समिति का खाता गांव के नजदीक के किसी भी सरकारी बैंक/पोस्ट ऑफिस बैंक में खोला



जा कता है। यह खाता बचत खाता होगा।

प्रश्न 4 खाता खोलने के लिये समिति को किसके प्रस्ताव की आवश्यकता होगी?

उत्तर – खाता खोलने के लिये समिति को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव की आवश्यकता होगी।

प्रश्न 5 खाता किसके नाम से खोला जाना चाहिये?


उत्तर – खाता संयोजक मितानिन व पंचायत के सचिव के नाम से खोला जाना चाहिये तथा ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के निर्णय के अनुसार सचिव व संयोजक मितानिन संयुक्त रूप से राशि का आहरण कर सकेंगे।

प्रश्न 6 समिति के खाते से राशि आहरण की प्रक्रिया क्या होगी

उत्तर – 1. समस्याओं की सूची व ग्राम स्वास्थ्य योजना पर खुली चर्चा कर आवश्यक गतिविधियों की प्राथमिकता तय करना।
2. प्राथमिकता सूची के आधार पर राशि की आवश्यकता का अनुमोदन ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
3. अनुमोदन के पश्चात् सचिव व संयोजक मितानिन संयुक्त रूप से राशि का आहरण करेंगे।

प्रश्न 7 समिति का हिसाब-किताब किसमें रखेंगे?

उत्तर—



प्रश्न 8 उपयोगिता प्रमाण पत्र क्या होता है ? यह किसकी जिम्मेदारी होगी ?

खण्ड चिकित्सा अधिकारी को कौन प्रेषित करेगा ?

उत्तर— उपयोगिता प्रमाण पत्र में कुल राशि में से कितनी राशि का व्यय/उपयोग किस मद में किया गया है तथा कुल कितनी राशि शेष है, इसका विस्तृत विवरण होता है। उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाने की जिम्मेदारी समिति की होगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायत के माध्यम से खण्ड चिकित्सा अधिकारी को ए.एन.एम. द्वारा दिया जाएगा।

प्रश्न 9 ग्राम में किसी परिवार के एक सदस्य की रात में तबियत अचानक खराब हो जाती है। वह परिवार अत्यंत गरीब है, उसके पास अस्पताल जाने के लिए राशि उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में समिति क्या करेगी ?

उत्तर— ऐसी आपात् या अकस्मात् स्थितियों के लिए बेहतर है कि पहले से ही समिति के संयोजक मितानिन या समिति द्वारा तय किए गए किसी जिम्मेदार सदस्य के पास समिति की आपसी सहमति से कुछ राशि रखी जाए। ध्यान रखें कि राशि समिति के उस सदस्य या मितानिन के पास हो जो कि उस गांव में रहता हो, ताकि रात के वक्त या बैंक के बंद रहने की स्थिति में कोई गरीब या जरूरतमंद को अस्पताल तक पहुंचाया जाकर उसकी मदद की जा सके। ध्यान रखें कि दरकिनार/वंचित लोगों को दी जाने वाली सहायता से पूरा समाज लाभान्वित होता है।

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के अंतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग करते वक्त ध्यान रखी जाने वाली बातें



जहां तक संभव हो श्रमदान के माध्यम से कार्य करें ताकि राशि की बचत की जा सके।

ग्राम पंचायत को उपलब्ध मूलभूत राशि के मद की राशि से कार्यों को पूरा कराया जाना चाहिए।

जहां तक संभव हो विभिन्न विभागों के विभागीय बजट से राशि प्राप्त कर संबंधित कार्य पूरे कराए जाने चाहिए।

ग्राम में किसी अन्य समितियों जैसे वन अधिकार समिति, स्वयं सहायता समूह, आदि के पास किसी प्रकार की राशि उपलब्ध है, तो मिलकर कार्य करना चाहिए।

स्वास्थ्य पंचायत योजना के अंतर्गत जिन पंचायतों को पुरस्कार या सहयोग राशि प्राप्त हुई है, उसे उस पंचायत की सभी ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों को बराबर-बराबर बाँटा जा सकता है। जिससे राशि का उपयोग ग्राम की समस्याओं के हल के लिए ही उपरोक्तानुसार किया जा सके।

ध्यान रहे कि समिति द्वारा अनटाईड फण्ड के उपयोग में व्यक्तिगत हितकार्यों के स्थान पर सामाजिक कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किंतु विशेष परिस्थितियों में पीड़ित महिला या अत्यंत गरीब या बेसहारा परिवारों या व्यक्ति के लिए सहायता करने का निर्णय ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति ले सकती है। वह व्यक्ति/परिवार उस राशि को रिवाल्विंग फण्ड की तरह किस्तों में लौटा भी सकता है। ध्यान रखें बेसहारा/वंचित लोगों को दी जाने वाली सहायता को व्यक्तिगत लाभ के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

10000 रूपए की वार्षिक राशि ग्रामस्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को दी गई है। समिति अन्य स्रोतों से भी आर्थिक संसाधन की व्यवस्था कर सकती है। जैसे ग्राम के विभिन्न संगठनों से सहयोग राशि प्राप्त कर विभिन्न व्यक्तियों से सहयोग राशि प्राप्त कर आदि।



मिलही सबला सुख के छांव।
जब जुरमिल बनाबो स्वस्थ गांव।।

समिति के विभिन्न सदस्यों की भूमिका

हमारी समिति में सरपंच की भूमिका



हर माह होने वाली बैठक का ध्यान रखूंगा।

ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर की समस्याओं की पहचान करूंगा।

समस्या का समाधान सुनिश्चित कराऊंगा।

समिति के प्रस्तावों एवं किए गए कार्यों को गांव वालों के सामने रखूंगा।

ग्राम स्वास्थ्य योजना के जरूरी बिन्दुओं को ग्राम पंचायत के साल भर की कार्य योजना में सम्मिलित कराऊंगा।

समिति की बैठकों में जिला या जनपद पंचायत के सदस्यों को सम्मिलित करने का प्रयास करूंगा।

हमारी समिति में अध्यक्ष की भूमिका

समिति
की
वार्षिक/
अर्धवार्षिक
कार्य योजना
बनाकर
प्रमुख
बिन्दुओं पर
कार्य
करूँगी।

मासिक बैठक में
नेतृत्व प्रदान कर समिति
को सक्रिय बनाऊँगी।

ग्राम
पंचायत
की स्थायी
समिति में
समिति के
सभी
कार्यों को
प्रस्तुत
करूँगी।

गांव के सभी लोगों
को ग्राम स्वास्थ्य एवं
स्वच्छता समिति से
जोड़कर रखूँगी।

समस्याओं को
सुलझाने के लिए
योजनानुसार कार्य
करूँगी।

हमारी समिति में सचिव की भूमिका

संयोजक मितानिन के साथ समिति की प्रत्येक मासिक बैठक का समय-स्थान तय करूँगा।

सभी संबंधितों की बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित कराऊँगा।

प्रत्येक तीन माह में समिति द्वारा किए गए खर्च की जानकारी का प्रतिवेदन तैयार करूँगा।

नियमित बैठकों में उमरे कमियों एवं उपलब्धियों पर समिति का ध्यान लाऊँगा।

समिति द्वारा तैयार की गई ग्राम स्वास्थ्य योजना को पंचायत योजना में शामिल कराऊँगा।

समिति में विभिन्न बिंदुओं पर की गई चर्चा एवं लिए गये निर्णयों की जानकारी बैठक पंजी में रखूँगा।

समिति द्वारा लिए गए निर्णयानुसार ही खर्च के लिए राशि का समय से आहरण करना सुनिश्चित करूँगा केश बुक का संधारण करूँगा।

ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत स्तर की समस्याओं की पहचान कर उन तक भेजने हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई करूँगा।

खर्च राशि का उपयोगिताका प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के माध्यम से ए. एन.एम. को दूँगा।

बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी ग्राम पंचायत की स्थायी समिति में प्रस्तुत करूँगा।

हमारी समिति में ए.एन.एम. की भूमिका

समिति की बैठक में नियमित भाग लेकर स्वास्थ्य विषयक जानकारी / सलाह दूंगी।

उप स्वास्थ्य केन्द्र से मिलने वाली सेवाओं की जानकारी एवं सेवाओं के वार्षिक कैलेंडर बनाने में समिति का सहयोग करूंगी।

ग्राम में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में होने वाली कठिनाइयों से समिति को अवगत कराऊँगी।

उप स्वास्थ्य केंद्र के अनटाइड फण्ड के उपयोग की जानकारी दूंगी।

ग्राम में हुई प्रत्येक शिशु / बाल मृत्यु के कारणों की जानकारी ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को दूंगी।

जननी सुरक्षा योजना की जानकारी एवं सेवा लेने से अक्सर छूटने वाले / वंचित परिवारों / लोगों की जानकारी समिति को दूंगी।

परिवार नियोजन कैम्प, नेत्र चिकित्सा शिविर, सिकिल सेल शिविरों की जानकारी समिति को पहले से ही दूंगी।

हमारी
समिति
में
आंगनबाड़ी
कार्यकर्ता
की
भूमिका

ग्राम के पारों की मितानिनों के साथ मिलकर पारावार कुपोषण की स्थिति को प्रस्तुत करूंगी।

आंगनबाड़ी के अंतर्गत होने वाली समस्या को समिति में रखूंगी।

ग्राम के सभी समूहों एवं महतारी समिति के सदस्यों को नियमित बैठक में भाग लेने हेतु प्रेरित करूंगी।

ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाने व उसके कियान्वयन में सहयोग करूंगी।

हमारी समिति में संयोजक मितानिन की भूमिका

समिति के कार्यों के खर्च की पूरी जानकारी सभी ग्राम सभाओं में प्रस्तुत करूंगी।

सभी पारों की समस्याओं को ग्राम समिति बैठकों में प्रस्तुत करूंगी।

सभी सदस्यों को बैठक की सूचना समय से दूंगी।

टीकाकरण विशेषकर दूर पारे में छूटने वाले बच्चों/परिवारों की जानकारी समिति के बैठक में प्रस्तुत करूंगी।

प्रत्येक तीन माह में समिति द्वारा किये व्यय की जानकारी सचिव की मदद से तैयार करूंगी।

पारे में हुई सभी मृत्युओं की जानकारी ग्राम समिति की बैठक में रखूंगी।

समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों के लिए सचिव के साथ राशि का आहरण करूंगी।

मितानिन डायरी एवं ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर के माध्यम से पारावार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार, गरीबी रेखा के नीचे परिवार, भूमिहीन परिवार, पलायन करने वाले लोग/परिवार, वृद्ध लोग, विकलांग, विधवा, परित्यक्ता आदि की जानकारी समिति में प्रस्तुत करूंगी।

प्रति माह सभी पारों के जननी सुरक्षा योजना लाभार्थियों की जानकारी समिति की बैठकों में रखूंगी।

अनुमोदित कार्यों का कियान्वयन समिति के सभी सदस्यों के सहयोग से करूंगी।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से पारावार कुपोषण की जानकारी ग्राम समिति की बैठक में प्रस्तुत करूंगी।

पारावार 32 सूचकांको के आधार पर समिति को ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करने में सहयोग दूंगी।



हमारी समिति में अन्य मितानिनों की भूमिका

ग्राम समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेंगे। अपने अपने पारे की समस्याओं को समिति की प्रत्येक बैठक में रखेंगे।

पारे के सभी लोगों को समिति की बैठक में भाग लेने के लिये प्रेरित करेंगे।

पारे में महिला स्वास्थ्य समिति एवं स्वयं सहायता समूह की बैठक को करते हुए पारे की सभी समस्याओं को समिति की प्रत्येक मासिक बैठक में रखेंगे।

दवा पेटी में उपलब्ध दवाईयों एवं उसके वितरण की जानकारी समिति की बैठक में देंगे।

प्रशिक्षिका के सहयोग से ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर व मितानिन डायरी के उपयोग से पारे/गांव के वंचित/छूटे लोग/बेसहारा लोगों/परिवारों की जानकारी समिति में प्रस्तुत करेंगे।

हमारी समिति में मितानिन प्रशिक्षक की भूमिका

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं समिति संबंधी दिशानिर्देश के बारे में जानकारी दूंगी।

समितियों के सदस्यों की पहचान कर उनका प्रशिक्षण सुनिश्चित करूंगी।

मितानिनों को ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति संबंधी बातों पर मार्गदर्शन करूंगी।

सचिव के साथ प्रत्येक ग्राम हेतु संयोजक मितानिन का चयन करूंगी।

संकुल बैठक में मितानिनों को समिति के निर्णयों के अनुरूप कार्य करने हेतु सहयोग करूंगी।

संकुल में सक्रिय व निष्क्रिय समितियों की सतत जानकारी प्रशिक्षक बैठक में दूंगी।

समिति के लिए सचिव और संयोजक मितानिन का संयुक्त खाता खोलने में सहयोग दूंगी।

बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करने वाली समितियों की पहचान कर उनकी जानकारी अन्य संकुल/मितानिन प्रशिक्षक बैठक में दूंगी।

ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाने के पूर्व पारा स्तर पर 32 सूचकांकों पर समस्याओं की पहचान कर और उनके समाधान पर चर्चा करूंगी।

प्रत्येक माह में कम से कम पाँच समितियों की बैठक में भाग लेकर संयोजक मितानिन व सचिव को उनके कार्यों में सहायता दूंगी।

संयोजक मितानिन को उसकी दी गई भूमिका के सभी बिंदुओं को निभाने में सहयोग दूंगी।

सभी ग्रामों में ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाने में पंचायतों को मदद दूंगी।

हमारी समिति में हैण्ड पम्प मैकेनिक की भूमिका

- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति बैठक में अगर हैण्ड पम्प से संबंधित कोई समस्या आती है तो उस समस्या के हल हेतु उपाय सुझाना।
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग की हैण्ड पम्प से सम्बन्धित सभी जानकारियों से समिति को अवगत कराना। (कलपुर्जो ,बजट आदि)
- उसके द्वारा हैण्ड पम्प की मरम्मत और रख रखाव सम्बन्धित किए गए कार्यों से प्रति माह ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को अवगत कराना।

हमारी समिति में राशन दुकान संचालक की भूमिका

- समिति के सभी सदस्यों को राशन दुकान के खुलने का समय, दुकान में उपलब्ध अनाज, योजनाओं की जानकारी समिति को समय-समय पर देते रहना।

हमारी समिति में वार्ड पंच की भूमिका

- वार्ड में लोगों के साथ मिलकर लोगों को ग्राम सभा में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित कर ग्राम सभा की बैठक में शामिल कराना।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के कार्य को ग्राम सभा एवं ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठकों में रखना।
- अपने वार्ड की समस्या को ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में प्रस्तुत करना।

हमारी समिति में शिक्षक/प्रधानाध्यपक की भूमिका

- समिति को स्वास्थ्य/स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर सलाह देना।
- समिति द्वारा स्वच्छता/स्वास्थ्य संबंधी लिए गए निर्णयों के कियान्वयन में सहयोग देना।
- मध्यान्ह भोजन, संपूर्ण स्वच्छता अभियान संबंधी शाला से जुड़ी गतिविधियों से समिति को अवगत कराना।

हमारी समिति में अध्यक्ष-स्वसहायता समूह स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य समिति/महतारी समिति के सदस्य की भूमिका

- ग्राम में स्थानीय समस्या का चिन्हांकन पारे की नियमित बैठकों में करते हुए ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में मितानिन के माध्यम से प्रस्तुत करना।
- समूह के पास उपलब्ध राशि एवं ऋण का ब्यौरा आवश्यकतानुसार ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को प्रस्तुत करना। यदि समूह मध्यान्ह भोजन / राशन दुकान / आंगनबाड़ी में पोशण आहार आदि कार्य कर रहे हैं तो उसकी जानकारी देना।
- गांव सभा में पारे के सभी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

हमारी समिति में अध्यक्ष युवा समिति की भूमिका

- ग्राम में स्थानीय समस्या का चिन्हांकन पारे की नियमित बैठकों में करते हुए ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में मितानिन के माध्यम से प्रस्तुत करना।
- गांव सभा में पारे के सभी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- युवा शक्ति का समिति के रचनात्मक कार्यों में उपयोग करना।

हमारी समिति में कोटवार/कोटवारिन की भूमिका

- मासिक बैठकों की सूचना सदस्यों को देना।
- ग्राम सभा की सूचना गांव के लोगों को देना।
- गांव में होने वाले समस्त जन्म व मृत्यु की सूचना ग्राम स्वास्थ्य समिति को देना।

हमारी समिति में ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति के सदस्य की भूमिका

- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के बैठक प्रतिवेदनो पर स्थायी समिति की बैठकों में चर्चा करना एवं ग्राम पंचायत को मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

हमारी समिति में जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य की भूमिका

- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को ग्राम में संपूर्ण स्वच्छता अभियान संबंधी कार्य योजना / गतिविधियो से अवगत कराना।
- शौचालय निर्माण के सभी पहलुओं से ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को अवगत कराकर अधिक से अधिक ग्रामीणों को इस कार्य हेतु तैयार करने में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की मदद लेना।

हमारी ग्राम समिति की मासिक बैठक



समिति में कोई भी प्रस्ताव/कार्य के अनुमोदन की प्रकिया

1. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समस्याओं को समिति की मासिक बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।
2. समस्याओं की सूची पर चर्चा करते हुए ग्राम की प्राथमिकता तय करेंगे।
3. प्राथमिकता तय करते समय पारों में कुपोषित बच्चों की स्थिति, छोटे वर्ग (विशेष कर महिला, विधवा, विकलांग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति आदि), पारे की दूरी आदि का विशेष ध्यान रखा जावेगा।
4. प्राथमिकता सूची के आधार पर कार्यों के प्रस्ताव के लिए राशि की आवश्यकता का अनुमोदन किया जावेगा।
5. राशि हेतु अनुमोदन, समिति के 50 प्रतिशत सदस्यों द्वारा किया जाना होगा।

समिति में की जाने वाली चर्चा, नियमित समीक्षा व बैठक प्रतिवेदन

1. प्रत्येक मासिक बैठक में ग्राम स्वास्थ्य योजना, उसके कियान्वयन बिन्दुओं, पूर्व में लिए गए निर्णयों एवं लंबित कार्यों, व्यय, बैठक पंजी आदि पर आवश्यक चर्चा।
2. माह के लिए निर्धारित विषय पर चर्च कर कार्य योजना बनाना।
2. बैठक प्रतिवेदन शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति की मासिक बैठक में संयोजक मितानिन द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।

ग्राम सभा में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की भूमिका

ग्रामसभा में सरपंच की जिम्मेदारी क्या होगी?



ग्राम सभा में अपनी बात रखने हेतु समय दिलाना।

समिति द्वारा ग्राम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत चिन्हित समस्याओं व बनाई गयी योजनाओं के क्रियान्वयन पर समुदाय से उचित सहयोग प्राप्त करना।

ग्राम सभा में ग्राम स्वास्थ्य योजना को प्रस्तुत करना।



ग्राम सभा में संयोजक मितानिन की भूमिका क्या होगी?

अध्यक्ष की भूमिका क्या होगी?



समिति द्वारा चिन्हित समस्याओं व बनाई गयी योजनाओं को ग्राम सभा में चर्चा के लिये रखना।

समिति ग्राम सभा में निम्न बातें सुनिश्चित करेंगी

प्रत्येक ग्राम सभा में समिति के सभी सदस्य भाग लेंगे।

समिति द्वारा किए गए खर्च के देयको (व्हाऊचर) पर ग्राम सभा की तिथि भी अंकित की जावेगी।

ग्राम सभा में समिति द्वारा बैठक में लिये गये निर्णयों, किये गये खर्चों तथा ग्राम स्वास्थ्य योजना प्रस्तुत कर चर्चा कराई जावेगी।

समिति ग्राम सभा की प्रत्येक बैठको में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के कार्यो / मुद्दो ग्राम स्वास्थ्य योजना की चर्चा एवं अब तक हुये खर्च का ब्यौरा रखेगी।

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की सक्रियता की निगरानी कौन करेगा?



ग्राम पंचायत द्वारा समिति की बैठकों का नियमित आयोजन। एवं अनुमोदित प्रस्ताव पर समय से कार्यवाही की निगरानी।

ग्राम सभा में संयोजक मितानिन द्वारा समिति के कार्यों की जानकारी प्रस्तुत कर सामाजिक अंकेक्षण।



प्रत्येक ग्राम में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठक हर माह होनी चाहिए, इसमें ग्राम के सभी लोग भाग ले सकते हैं।

अभ्यास के प्रश्न

- प्रश्न 1. आज ग्राम में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की पहली बैठक है, बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा की जानी चाहिये ?
- प्रश्न 2. ग्राम समिति की बैठक में गांव के लोगों की उपस्थिति नहीं है, केवल अध्यक्ष, सचिव व संयोजक मितानिन उपस्थित है, तो क्या बैठक ली जानी चाहिये? उपस्थित लोगों को क्या-क्या प्रयास करने चाहिए?
- प्रश्न 3. समिति की बैठक में दलित/पिछड़े वर्ग/बेसहारा/विधवा/परित्यक्ता के लोग नहीं आते हैं, आप इनकी उपस्थिति कैसे सुनिश्चित करेंगे? जिम्मेदारी किसकी है? ग्राम समिति की बैठक में एक दूर पारा जहां सिर्फ हरिजन परिवार रहते हैं, वहां 10 कुपोषित बच्चों की जानकारी मिलती है, समिति क्या करेगी?

हमारी बात - ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति की बैठके

लम अपनी बैठक पंजी में बना लें।

क्र.	दिनांक	माह की बैठक का निर्धारित विषय	अनुमोदित बातें	पूर्व अनुमोदित कार्यों की स्थिति (पूर्ण / अपूर्ण)
1				
2				
3				
4				

हमर समिति

मितानिन प्रशिक्षक व जिला स्त्रोत व्यक्ति समिति की बैठक में निम्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन देंगे।

ग्राम :

ग्राम पंचायत :

सरपंच :

अध्यक्ष :

संयोजक मितानिन :

सचिव :

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता :

ए.एन.एम. :

हैन्डपंप मैकेनिक :

उपस्वास्थ्य केंद्र :

शिक्षक :

अन्य समितियों की संख्या :

क्या अन्य समितियों के सभी अध्यक्ष ग्राम समिति में स्वास्थ्य के रूप सम्मिलित किए गए हैं :

अन्य मितानिनों
के नाम :

बैंक का नाम :

समिति का गठन दिनांक :

समिति में बैंक पंजी
उपयोग में लाई जा
रही है :

समिति का खाता दिनांक :

समिति में कॅश बुक उपयोग
में लायी जा रही है :

समिति में जन्म/मृत्यु पंजीयन पंजी उपयोग
में लाई जा रही है :

समिति में
मासिक
बैंक नियमित
की जा रही
है :



समिति द्वारा ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाई गई:

समिति द्वारा अन्टाईड फण्ड का उपयोग किया जा रहा है :

समिति द्वारा ग्राम स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है :

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

सामुदायिक निगरानी



संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ छत्तीसगढ़ शासन
राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र छत्तीसगढ़